एम.ए.सी.पी. संख्या २०१/२०१९
१. श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व. चन्द्रभान उम्र लगभग ३२ वर्ष
२. सूरज पुत्र स्व. चन्द्रभान उम्र करीब १४ वर्ष
३. कु. मुस्कान कुशवाहा पुत्री स्व. चन्द्रभान आयु लगभग १२ वर्ष
४. कु. महक पुत्री स्व.चन्द्रभान आयु लगभग १० वर्ष
५. नाथूराम पुत्र किन्दे आयु लगभग ५५ वर्ष
६. श्रीमती राजाबाई पत्नी नाथूराम उम ५२ वर्ष
नाबालिगान जरिये संरक्षिका श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व. चन्द्रभान
समस्त निवासीगण गाँधी गंज मऊरानीपुर जिला झाँसी

-----याचीगण

प्रति

१. हमीद मोहम्मद पुत्र अनार वक्ष्य निवासी नानी पवाई वार्ड नं.१ पन्ना पवाई जिला पन्ना म.प्र.
..........मालिक ट्रक सं. एम.पी. ३५ एच ए ०४३९
२. दि न्यू इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी जरिये शाखा प्रबंधक कचहरी चौराहा झाँसी,उ.प्र.
.......बीमाकर्ता ट्रक सं. एम.पी. ३५ एच ए ०४३९
३. मंगल सिंह यादव पुत्र श्री जगदीश सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट टिकरिया जिला पन्ना,म.प्र.
...........चालक ट्रक सं. एम.पी. ३५ एच ए ०४३९

-----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं.१ व २के अधिवक्ता- श्री संजय देव शर्मा
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री अफजल अहमद

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. २ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण में उपस्थित आये।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा ३२बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ३२बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया गया। ३२बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ७,९५,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ३२बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा ३२बी में दर्शित कुल ₹ ७,९५,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ३२बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा ३२बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ३२बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ७,९५,००० (सात लाख पन्चानवे हजार) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अंतरित कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। प्रार्थीगण/याचीगण सं. १ लगायत ६ मृतक की क्रमशः पत्नी, पुत्र, पुत्रियाँ, पिता व माँ हैं। याचीगण सं. २ लगायत ४ वर्तमान में अवयस्क हैं। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची स.१, २, ३, ४, ५ व ६ प्रत्येक क्रमशः २५, २०, २०, २०, ०५, १० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। प्रतिकर की उक्त धनराशि में से याची सं. २ सूरज, याची सं. ३ कु. मुस्कान व याची सं. ४ कु. महक अवयस्कगण को प्राप्त होने वाली धनराशि उनके वयस्क होने तक

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 13:52:57 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor accident Claim Tribunal Jhansi

के लिए उनके नाम जरिए संरक्षिका माँ श्रीमती गंगा देवी, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा में सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली योजना में रखे जायेंगे। याचिया सं.१ श्रीमती गंगा व याची सं. ५ नाथूराम व याची सं ६ श्रीमती राजाबाई प्रत्येक को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची २५-२५प्रतिशत भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की ३ वर्ष के लिए एन्युटी बनायी जायेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।